

प्रेषक,

अरुणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 12 जुलाई, 2019

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेजों में ट्यूटर/डेमोस्ट्रेटर के पद धारकों को सातवें पुनरीक्षण वेतनमान अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1019/चि0शि0/03(मेडिकल)/197/2015 दिनांक 13 मार्च, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ट्यूटर/डेमोस्ट्रेटर को जूनियर रेजिडेंट के समान सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ट्यूटर/डेमोस्ट्रेटर को जूनियर रेजिडेंट के समान वेतन रु 56100/- (छप्पन हजार एक सौ मात्र) नियत का लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0- 317/XXVII(7)/2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

4- उक्त शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या- 913/XXVIII(1)/2019- 33/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूं/गढ़वाल मण्डल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।